

Caveat क्या है और आपको कानूनी चक्रव्यूह से बचाने कितनी उपयोगी है, पढ़िए CPC 148.



लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार
(विधिक सलाहकार नर्मदापुरम)
9827737665

जब किसी पक्षकार को लगता है की उसे सुने बगैर न्यायालय एक तरफा निर्णय दे सकता है तब ऐसा पक्षकार निर्णय से पहले सूचना प्राप्त करने एवं सुनवाई के बिना निर्णय न दे तब सिविल न्यायालय में केवियट फाइल कर सकता है जानिए केवियट फाइल की क्या प्रक्रिया होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148 (क) की परिभाषा किसी व्यक्ति के हितों की ऐसे आदेश के विरुद्ध सुरक्षा की जा सके जिसे कार्यवाहियों किसी पक्षकार द्वारा दाखिल आवेदन पत्र पर पारित किया जा सकता है। केवियट दाखिल करने वाला ऐसा व्यक्ति ऐसे आवेदन पत्र का आवश्यक पक्षकार हो यह जरूरी नहीं है अपितु वह ऐसे आदेश द्वारा प्रभावित हो सकता है जो ऐसे आवेदन पत्र पर पारित किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कहे तो यह धारा ऐसे पक्षकार को कोई एकपक्षीय आदेश पारित किए जाने के पूर्व सुने जाने के विषय में अवसर का उपलब्ध

करता है जिसे सूचना दिए बगैर न्यायालय कोई निर्णय सुना देता है। जैसे की तलाक की कोई डिक्री कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित हो जाती है एवं इसके विरुद्ध अपीलीय न्यायालय में कोई अपील की जाती है तब दूसरा अपीलीय न्यायालय में केवियट फाइल कर अपील की सुनवाई से पहले स्वयं की सुनवाई की मांग एवं सूचना प्राप्त की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

केवियट फाइल कौन लगा सकता है जानिए-

कोई भी पक्षकार जो न्यायालय से सुनवाई से पूर्व सूचना प्राप्त करना चाहता है या एकपक्षीय निर्णय होने से पहले स्वयं को सुनवाई का अवसर प्राप्त करना चाहता है वह केवियट फाइल कर सकता है।

विशेष नोट:-

1. एक बार केवियट फाइल हो जाती है वह 90 दिनों तक सूचना के लिए वैध होती है। इसके बाद दोबारा केवियट फाइल करना होगा।
2. यह फाइल सिर्फ सिविल वादों में एवं सिविल न्यायालय में लगाई जाती है, एवं निर्णय से पहले भी इस फाइल को लगा सकते हैं एवं अपील के बाद भी यह लगा सकते हैं।
3. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 148 (क) के अंतर्गत केवियट फाइल करना एक अधिकार है।

'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया गया पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे का भी हुआ शुभारंभ

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विकसित 'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक के दौरान हुई इस लॉन्चिंग से पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी। यह व्यवस्था देश में पंचायतों के पूर्णतः डिजिटल रिमोट वित्तीय ऑडिट की दिशा में अपनी तरह की अभिनव पहल है। केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान की राशि के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के समयबद्ध ऑडिट की अनिवार्यता है। भारत के महालेखाकार के निर्देशन में पंचायती राज संचालनालय द्वारा एनआईसी के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'दृष्टि' नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर जाकर ऑडिटर अपने घर या ऑफिस से किसी भी पंचायत के सभी प्रकार के आय व्यय सम्बन्धी अभिलेख देख सकते हैं तथा उनकी जांच कर सकते हैं। यह ऑडिट प्रक्रिया प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों के वित्तीय ऑडिट को तेज, सरल एवं पारदर्शी बनाएगी। इसके उपयोग से सीमित कर्मचारियों द्वारा भी समस्त पंचायतों का ऑडिट समय पर किया जा सकेगा। इस



प्रणाली के क्रियान्वयन से समय और संसाधनों की बचत के साथ वित्तीय जवाबदेही और सुशासन को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल पर आरंभ पेमेंट गेटवे पंचायत राज संचालनालय द्वारा एनआईसी, जल निगम एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके माध्यम से पंचायतें नागरिकों के बिल जेनरेट कर सकेंगी। गेटवे पर कोई भी

नागरिक बिल का पेमेंट घर बैठे कर सकता है और ऑनलाइन ही रसीद भी प्राप्त कर सकता है। इससे लोगों के श्रम और समय दोनों की बचत होगी तथा पंचायत का अभिलेख भी स्वतः ही निर्मित होता चला जायेगा। सेवाओं में पारदर्शिता और कार्यों का समयबद्ध निस्तारण होगा। इन नवाचारों से विभागीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही अधिक होने के साथ ही सुशासन को बढ़ावा भी मिलेगा।

मध्यप्रदेश में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ अथवा स्टूडेंट से दुर्व्यवहार कितना गम्भीर अपराध है, जानिए - legal advice

मध्य प्रदेश में मान्यता है कि भगवान के बाद डॉक्टर यह जो मरते हुए इंसानों की जान बचाने के तरीके जानता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल स्टाफ को विशेष सम्मान दिया जाता है। वर्ष 2008 में मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा सेवा से संबंध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, 2008 बनाया है। उक्त कानून में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डाक्टरों, पैरामेडिकल कार्यकर्ताओं, मिड-वाइफ, मेडिकल छात्र/छात्राएँ, पैरा मेडिकल छात्र/छात्राएँ, नर्सिंग छात्र, नर्स, चिकित्सक कर्मी जैसे कि सहायक, आया, वार्ड बॉय, लिपिक आदि, मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक डाक्टर, मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक डाक्टर एवं कोई भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक व्यवसायी



लेखक एडवोकेट बी. आर. अहिरवार (विधिक सलाहकार नर्मदापुरम) 9827737665

जिसका अस्थाई रजिस्ट्रीकरण है, उसको धमकी देगा, हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या धमकी देकर रुकने आदि को कहेगा, अपशब्द कहेगा वह व्यक्ति मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा सेवा से संबंध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम,

2008 की धारा 03 के अंतर्गत दोषी होगा। अपराध का वर्गीकरण उपरोक्त अधिनियम की धारा 04 से 07 में अपराधों के दंड एवं कार्यवाहियों के बारे में प्रावधान किया गया है जानिए— यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं अर्थात् पुलिस अधिकारी द्वारा इस अपराध में एफआईआर दर्ज होगी लेकिन आरोपी को जमानत के लिए न्यायालय ही जाना होगा। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं न्यायालय की अनुमति द्वारा ही इस अपराध में राजीनामा हो सकता है। सजा— इस अपराध में दोषी व्यक्ति को तीन माह की कारावास या दस हजार रुपये जुर्माना तक या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

रायसेन जिले में एल एल बी पाठ्यक्रम लागू होना एक ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण उपलब्धि! डॉ. प्रभुराम चौधरी

हत्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेन। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शासकीय विधि महाविद्यालय, रायसेन में एल.एल.बी.पाठ्यक्रम प्रारंभ होना जिले के शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब रायसेन एवं आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विधि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपने ही जिले में गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। यह महाविद्यालय न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य को नई दिशा देगा, बल्कि न्याय, संविधान और जनसेवा के क्षेत्र में योग्य अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ एवं जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निश्चित रूप से यह पहल जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार और युवाओं के सशक्त भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। डॉ चौधरी साहब ने कहा मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह नवीन विधि महाविद्यालय आने वाले वर्षों में उत्कृष्ट शिक्षा, अनुशासन और विधिक ज्ञान का केंद्र बनकर हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करेगा तथा रायसेन जिले को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा।



सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल में नव निर्वाचित छात्र परिषद ने संभाला पदभार

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

उदयपुरा। सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल, उदयपुरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नव निर्वाचित छात्र परिषद के पदभार ग्रहण समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विद्यालय के संचालक फादर फिजो की उपस्थिति में छात्र-छात्राओं ने नेतृत्व और जिम्मेदारी का संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना नृत्य से हुआ। विद्यालय के प्राचार्य फादर इमैनुएल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद विद्यालय प्रबंधक फादर फिजो एवं प्राचार्य फादर इमैनुएल ने नव निर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को सैश एवं बैज पहनाकर सम्मानित किया तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में छात्र परिषद के सभी



पदाधिकारियों ने विद्यालय के अनुशासन, सेवा, नेतृत्व एवं जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि फादर फिजो ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में विद्यार्थियों से ईमानदारी, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता

के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने तथा विद्यालय का नाम गौरवान्वित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं राख्यान के साथ हुआ। पूरे समारोह में अनुशासन, उत्साह और नेतृत्व

की भावना देखने को मिली।

नव निर्वाचित छात्र परिषद

हेड बॉय- सुजल सिंह राजपूत हेड गर्ल- भूमि सोमानी उप-हेड बॉय-देव प्रताप सिंह राजपूत उप-हेड गर्ल- आस्था चौबे

खेल मंत्री (बालक)- आर्यन दुबे खेल मंत्री (बालिका)- दिव्यांशी लोधी सांस्कृतिक मंत्री (बालक)- मृत्युंजय सिसोदिया सांस्कृतिक मंत्री (बालिका)- वेदिका कौरव साहित्य मंत्री (बालक)- रौनक चौकसे साहित्य मंत्री (बालिका)- वर्णिका लोधी स्वास्थ्य मंत्री (बालक)- तुलज राय स्वास्थ्य मंत्री (बालिका)- काशवी खटीक अनुशासन मंत्री (बालक)- श्रेष्ठ गोदानी अनुशासन मंत्री (बालिका)- लाभ्या व्यास हाउस कैप्टन एवं उप-कैप्टन ग्रीन हाउस- कसान - भूपेन्द्र राजपूत, उप-कसान - मान्या रघुवंशी ब्लू हाउस- कसान - यतिन, उप-कसान - दिव्या रेड हाउस- कसान - शिवांश राजपूत (कक्षा 12वीं), उप-कसान - वैदेही कौरव येलो हाउस- कसान - श्रेया गौर, उप-कसान - आयुष दीक्षित

नव दायित्व मिलने पर भोपाल पहुंचे अजय सुखदेव, शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार

मूलचन्द मेघोनिया वरिष्ठ पत्रकार भोपाल

बालाघाट। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान परमार की सहमति एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खडेलवाल की अनुमति से घोषित जिला प्रभारियों की सूची में बालाघाट के भाजपा नेता अजय सुखदेव को शहडोल जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है।

नव दायित्व मिलने के बाद अजय सुखदेव ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद एवं संगठनात्मक मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, सांसद श्रीमती भारती पारधी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग श्रीमती मौसम हरिनखेड़े, पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्रीमती लता एलकर तथा पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य वैभव पवार से भेंट कर आभार व्यक्त किया।

इसके बाद अजय सुखदेव भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले कार्यालय की चौखट पर माथा टेककर नमन किया तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके



पश्चात अनुसूचित जाति मोर्चा कक्षा में प्रदेश महामंत्री कृष्णा चौधरी एवं प्रदेश कार्यालय मंत्री अमर अटवाल से मुलाकात कर उन्हें गमछा पहनाकर एवं गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर युवा नेता जितेंद्र गौतम, मनोज, अवलेश पारधी एवं विकास भी उपस्थित रहे। अजय सुखदेव ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे शहडोल जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की

रीति-नीति एवं केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना उनका संकल्प है तथा संगठन के प्रति वे हमेशा चट्टान की तरह अडिग रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंतिम छोर पर स्थित बालाघाट जिले के एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर उन्हें शहडोल का जिला प्रभारी बनाने के लिए वे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति हृदय से आभारी हैं। उनके अनुसार वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा और शक्ति है।

स्वतंत्र कलम से: मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित पूरे प्रदेश में कन्या और बालक आश्रमों को चालू किया जाए

डॉ जवर सिंह अग्र संस्थापक संरक्षक दलित आदिवासी महापंचायत मध्य प्रदेश एवं संस्थापक प्रांत अध्यक्ष कसस, संस्थापक प्रांत अध्यक्ष अवाक्स ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार से बंद किए गए अनुसूचित जाति वर्ग के कन्या और बाल विकास समूह को चालू करने की मांग की है वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित अनुसूचित जाति वर्ग के कन्या और बालक आश्रम थे वह बंद कर दिए हैं जिससे अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब परिवार के बच्चों को जिम कन्या और बालक पढ़ते थे और रहते थे कक्षा एक से आठ तक पढ़ने में दिक्कत आ रही है इन आश्रमों में कक्षा एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं के प्रवेश होते थे कन्या आश्रम अलग से बालक आश्रम अलग थे भवन आज भी बने हुए हैं स्टाफ आज भी है लेकिन हमारी सरकार ने एशिया में बैठे अफसरों ने मैं समझता हूं वह अनुसूचित जाति विरोधी है



इसलिए उन्होंने बंद कर दिए मध्य प्रदेश सरकार इन आश्रमों को चालू करते हैं तो वास्तव में आप अनुसूचित जाति वर्ग का भला करेंगे आपसे पुनः अनुरोध है कि इन आश्रमों को शीघ्रता से इसी सत्र से चालू कारण याद रहेगी इन आश्रमों को चालू करने के लिए मंत्री भारत सिंह कुशवाहा अब सांसद नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद ग्वालियर लोकसभा विवेक नारायण कृष्ण सेजवलकर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री को कई पत्र लिखें कि आप बंद किए गए आश्रमों को शीघ्र चालू किया जाए फिर भी हमारी आपकी सरकार ने इन आश्रमों को

चालू नहीं किया है आप अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आपसे अनुरोध है कि बंद किए गए कन्या और बालक आश्रमों को शीघ्र चालू कराया जाए डॉ जवर सिंह अग्र संस्थापक संरक्षक दलित आदिवासी महापंचायत मध्य प्रदेश सदलित आदिवासी महापंचायत मध्य प्रदेश सीएममध्य प्रदेश drMohanYadav नागेंद्रसिंहचौहान मंत्री अनुसूचित जाति विभाग डॉकैलाशजाटव अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग मध्य प्रदेश गुलशन बामोरा प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन अनुसूचित जाति विभाग भगवान परमार प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एससी मोर्चा Scstmembersparliament SCSTMLA विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में सामिल सीएसटी नेता

उपभोक्ता शिकायत पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई दही व बेसन के नमूने लिए, सुधार सूचना नोटिस जारी

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल

मध्यप्रदेश
उपभोक्ता से प्राप्त खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायत के आधार पर अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार परमार डेयरी एंड स्वीट्स, 11 नंबर, भोपाल पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा त्वरित निरीक्षण एवं वैधानिक कार्रवाई की गई। निर्देशानुसार मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना सक्सेना द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए दही एवं बेसन के वैधानिक नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेकर



राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेजे गए हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में प्रतिष्ठान के संचालक को सुधार सूचना एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वे दो दिवस के भीतर निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का निराकरण करते हुए अपना स्पष्टीकरण एवं अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में अनियमितियों का संतोषजनक सुधार नहीं किया जाता है अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार खाद्य व्यवसाय अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा निरस्तीकरण

सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों तथा प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के परीक्षण के उपरान्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन, भोपाल ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, शुद्धता अथवा सुरक्षा के संबंध में कोई शिकायत हो तो उसकी सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समयबद्ध जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा सके।

डेंगू-चिकुनगुनिया रोकथाम के लिए अभियान रिकत प्लाटों पर जलभराव एवं लार्वा पाए जाने पर होगा जुर्माना

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल
मध्यप्रदेश

भोपाल जिले में डेंगू, चिकुनगुनिया एवं मलेरिया के प्रकरणों को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, जिला मलेरिया कार्यालय भोपाल एवं नगर निगम भोपाल द्वारा संयुक्त अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में राज्य कार्यक्रम अधिकारी, वेक्टर बोर्ड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम डॉ. हिमांशु जायसवार एवं डिटी कमिश्नर, नगर निगम भोपाल श्री हिरेन्द्र कुशवाहा ने उपस्थित समस्त नगर निगम के कर्मचारियों एवं जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि लार्वा सर्वे एवं एंटी लार्वा गतिविधियों को बढ़ाया जाए। सभी टीमों आपसी समन्वय से कार्य करें। शहर में डेंगू रोग के हॉटस्पॉट क्षेत्रों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषकर हाट बाजारों, निर्माणाधीन स्थलों एवं मेगा प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो, रोड निर्माण, ब्रिज इत्यादि के साथ-साथ पी.डब्ल्यू.डी. के कार्यस्थलों, मैरिज गार्डन तथा कंस्ट्रक्शन साइट पर विशेष सर्वे करें। समस्त वाडों में निर्धारित समय में फॉगिंग की जाये। समुदाय बैठक करें एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के



लिए प्रत्येक सप्ताह 'ड्राई डे' मनाया जाएगा। इसमें घरों में रखे पानी के बर्तनों को खाली कर सुखाया जाएगा। रहवासी कल्याण समितियों एवं सोसायटियों के साथ बैठक कर जनजागरूकता बढ़ाई जाएगी। जिले के तालाबों एवं गड्ढों को चिह्नित कर उनमें ऑयल बॉल्स डाली जाएंगी। डिटी कमिश्नर ने कहा कि जलभराव वाले स्थानों पर पहले समझावश दी जाएगी तथा इसके बाद भी सुधार

न होने पर नगर निगम द्वारा स्पॉट फाइन एवं चालानी कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में रखे हुये पुराने कंडम वाहनों एवं अनुपयोगी पानी की टंकीयों का भी निरीक्षण करते हुये भी प्रयास करें कि इनमें पानी एकत्रित न हो। रसायनों का उपयोग भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाए। संक्रमित क्षेत्रों में थर्मल फॉगिंग को प्राथमिकता दी जाए। बैठक में जिला मलेरिया अधिकारी

स्मृता नामदेव ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिले की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार व्यक्त जिला सलाहकार मलेरिया रुचि सिलाकारी ने किया। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे अपने घरों एवं आसपास पानी जमा न होने दें। बुखार आने पर लक्षण के आधार पर तुरंत नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर रक्त जांच कराएं।

दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर



रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

दिव्यांगजनों के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण, उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से विशेष विधिक जागरूकता एवं मेडिकल चेप कैम्प का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव सुनीत अग्रवाल द्वारा दिव्यांगजनों हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं, अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन का सहभागी बनने का संदेश दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि प्रत्येक पात्र नागरिक को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता उपलब्ध कराना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी तारतम्य में 13 जुलाई को मशीनरी ऑफ चैरिटीज नेहरू नगर भोपाल में दिव्यांगजनों के हितार्थ विशेष विधिक सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों को उनके विधिक अधिकारों, कानूनी संरक्षण, विभिन्न शासकीय योजनाओं, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सहायक उपकरणों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पात्र दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु विभागीय समन्वय का आश्वासन दिया गया। शिविर के दौरान जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की टीम के द्वारा स्वास्थ्य जांच किया गया तथा स्वास्थ्य कार्ड तत्काल बनाया गया जिससे वे विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ सरलता एवं समयबद्ध रूप से प्राप्त कर सकें।

जनपद पंचायत सीईओ अभिषेक गुप्ता की तानाशाही, जनपद अध्यक्ष राधा अहिरवार के साथ भेदभाव, और अन्याय

मूलचन्द मेधोनिया पत्रकार भोपाल

चीचली। जिला नरसिंहपुर (म. प्र.) जनपद पंचायत सीईओ अभिषेक गुप्ता द्वारा जनपद अध्यक्ष के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार, हितग्राही मूलक योजनाओं में अनावश्यक विलंब सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान में जानबूझकर देरी व जनपद पंचायत की नियमित बैठकों का आयोजन न किये जाने सहित जनपद अध्यक्ष श्रीमती राधा/कमलेश अहिरवार द्वारा कलेक्टर नरसिंहपुर, जिला पंचायत नरसिंहपुर, अनु विभागीय अधिकारी गाडरवारा को किये जाने के पश्चात सीईओ की तानाशाही, हठधर्मिता क्षेत्र की जनता सहित यहाँ के जनप्रतिनिधि झेल रहे हैं। आवेदन पत्र में बताया कि लगभग 1 वर्ष से सीईओ यहाँ पर पदस्थ हैं जो कि लापरवाह अधिकारी के तौर से अपना सिक्का जमाये हुए हैं। जिससे पूरा जनपद क्षेत्र परेशानी झेल रहा है।

जनपद अध्यक्ष श्रीमती राधा अहिरवार जो कि अनुसूचित जाति

हितग्राही मूलक योजनाओं को जानबूझकर विलंब करना महिला अनुसूचित की अध्यक्षता की कुर्सी और हाल में मनमानी मीटिंग करना जनप्रतिनिधियों से भेदभाव जैसे अनेकों शिकायत लेकर धरना प्रदर्शन ब्लॉक मुख्यालय पर जारी



की है उनके साथ भेदभाव रवैया रखते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जनपद के विकास कार्यों में रोड़े अटकाते हुए हैं, जिसके कारण आमजन में भारी असंतोष है। सीईओ की कार्यप्रणाली के विरोध स्वरूप मुख्यालय पर ही अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसके महत्वपूर्ण कारण बिन्दुवार निम्न है।

(1) जनपद अध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग की होने के कारण महिला का सम्मान न कर भेदभाव, छुआछूत का दुर्व्यवहार किया जाता है। (2) जनपद अध्यक्ष की

कुर्सी पर सीईओ स्वयं बैठते हैं तथा अध्यक्ष कक्ष में ही बैठक करते हैं। जबकि उनका कक्ष अलग है व मीटिंग कक्ष भी अलग से है। अध्यक्ष द्वारा बोला जाता है तो सीईओ द्वारा कहा जाता है कि मेडम बाहर बैठें मैं अभी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ अन्दर ही नहीं जाने देते हैं। (3) अध्यक्ष द्वारा जनहित अथवा विभागीय कार्यों की जानकारी मांगी जाती है तो मना कर दिया जाता है।

(4) ग्राम पंचायतों के हितग्राही, सरपंच, सचिव द्वारा जनपद अध्यक्ष से अपनी ग्राम पंचायत

सम्बंधित जानकारी चाहते हैं तो सीईओ द्वारा साफ तौर पर कहते हैं कि वह तुम्हारे पास क्यों जाकर पूछते हैं उनको मेरे पास आकर मिलना चाहिए। (5) जनपद अध्यक्ष की सामान्य सभा की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जाती और सीईओ स्वयं बैठकों में उपस्थित नहीं रहते हैं। जिससे विकास कार्य एवं जनहित के कार्य लंबित है। (6) ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन में अनुचित तरीके से कटौती की जाती है। जिससे पंचायतों में सभी कार्य प्रभावित हो रहें हैं। (7)

संबल योजना के पंजीयन एवं अनुग्रह प्रकरणों के निराकरण नहीं किये जा रहे हैं। (8) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान समय पर निराकरण न कर सीईओ सभी फाइलों को अनावश्यक लंबित रखकर मनमानी कर रहे हैं।

(9) सीईओ इतने तानाशाह रवैया का रुतबा कर रहे हैं कि अध्यक्ष द्वारा सम्पर्क करने पर वह कहते हैं कि मैं कार्यालय में नहीं हूँ। तथा जब अध्यक्ष ब्लॉक मुख्यालय जाकर देखती है तो वह बैठें मिलते हैं लेकिन अनुसूचित जाति अध्यक्ष जनपद को मुख्यालय में न आने की कोशिश करते हैं। (10), सीईओ को जब भी अध्यक्ष कक्ष में बुलाया जाता है तो वह आते नहीं हैं। इतना भेदभाव किया जाता है। जो एक जनता के प्रतिनिधि का घोर अपमान है। सीईओ इसी तरह अनुकम्पा

नियुक्ति फाइल को बिना कारण लंबित रखते हैं। ग्राम पंचायतों से विभिन्न कार्यों को करने हेतु रुपये की मांग अथवा वसूली किये जाने की शिकायतें हैं। जनपद में पदस्थ अधिकारियों, व कर्मचारियों की कोई बात न सुनते हुए उल्टा गलत ठहराया जाता है। तथा एक ही सभी को धमकी दहशत दी जाती है कि मैं पहले डीएसपी रहा हूँ? मैं तहसीलदार रहा हूँ? यह रोब जमाते हुए सभी को चमकाते हैं, कार्यवाही कार्यालय अभिलेख एवं महत्वपूर्ण फाइलों को जनपद मुख्यालय से वह अपने घर ले जाकर उनके निराकरण की जगह लंबित रखा जाता है। ऐसे अधिकारी को पद पर रहना ही ठीक नहीं है। देखना है कि शिकायत का अपार भंडार होने के बाद सरकार और उच्च अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं फिलहाल जनप्रतिनिधि डटे हैं धरने पर।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत स्वयंसेवकों ने ली नशामुक्ति की शपथ

पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम।।

शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम में %नशे से दूरी है जरूरी 2.0% अभियान के अंतर्गत स्वयंसेवकों ने ली नशामुक्ति की शपथ नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत शासकीय विधि महाविद्यालय, नर्मदापुरम में प्राचार्य डॉ. कल्पना भारद्वाज के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के संयुक्त तत्वावधान में नशामुक्ति शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए जीवन में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा समाज में



नशामुक्ति के प्रति जनजागरूकता फैलाने का संकल्प दिलाया गया। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के संयोजक राजदीप सिंह भदौरिया ने उपस्थित स्वयंसेवकों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई तथा युवाओं से

स्वस्थ, अनुशासित एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। अंत में सभी स्वयंसेवकों ने स्वयं नशे से दूर रहने और अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।

एक जन अंधरा सौ उपजाइस, महाभारत मा गदर मचाइस।
कोनो लाख अउ कोनो हजार जन, बेटवा बिया के बंसुरी बजाइस।।
तैं दूसर ला तीन बोल के, परंपरा मा भांजी मारत हस।
तैं अस अंधरा, परजीवी परानी, नौकर भरोसा जी पावत हस।।
लक्ष्मी नारायण कुम्भकार सचेत दुर्ग (छ0ग0)



नमो बुद्धाय जय भीम

धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस एवं वर्षावास प्रारम्भ समारोह

(आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक)

आप एवं आपके समस्त परिवार को सादर आमंत्रण।

परम पूज्य भदंत शाक्यपुत्र सागर थेरो जी के पावन मार्गदर्शन में भदंत ज्ञानोदय, भदंत धम्मनंद, भदंत राहुलपुत्र, भदंत राजरत्न एवं भदंत संघरत्न के वर्षावास अधिष्ठान एवं वर्षावास प्रारम्भ समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

यह पावन अवसर त्रिरत्न की शरण में पुण्य संचय, अष्टशील उपोसथ, संघदान, विपश्यना ध्यान, परित्राण पाठ एवं धम्मदेशना का अनुपम अवसर है।

दिनांक- 29 जुलाई 2026 (बुधवार)

समय- प्रातः 9:00 बजे से

स्थान- बुद्धभूमि महाविहार, चुनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल विशेष आग्रह-

सभी उपासक-उपासिका परिवार कृपया अपने घर से भिक्षु संघ के लिए भोजन टिफिन अवश्य लेकर आएँ तथा संघदान का पुण्य लाभ प्राप्त करें।

संपर्क-

99262 20408 7 73890 46631 7 99775 48655

धम्मदान (Google Pay / PhonePe)=

धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस एवं वर्षावास प्रारम्भ समारोह
(आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक)

परम पूज्य भदंत शाक्यपुत्र सागर थेरो जी के पावन मार्गदर्शन में

1 भदंत ज्ञानोदय 2 भदंत धम्मनंद 3 भदंत राहुलपुत्र 4 भदंत राजरत्न 5 भदंत संघरत्न

भिक्षु संघ का वर्षावास अधिष्ठान एवं वर्षावास प्रारम्भ समारोह दिनांक 29 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। आप सभी सम्मानित उपासक-उपासिकाओं से सादर आमंत्रण है कि इस पुण्यमय अवसर पर उपस्थित होकर खिरल की कृपा एवं भिक्षु संघ का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। पुण्य अर्जित करें।

कार्यक्रम की रूपरेखा

दिनांक: 29 जुलाई 2026 (बुधवार)

समय: प्रातः 09:00 बजे से

स्थान: बुद्धभूमि महाविहार, चुनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल

संपर्क सूत्र
99262 20408 / 73890 46631 / 99775 48655
धम्मदान के लिए गुगल पे / फोन पे 9826929578

धम्मदान
आइए, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस एवं वर्षावास प्रारम्भ के इस पावन अवसर पर अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर बुद्ध, धम्म एवं संघ की शरण में पुण्य संचय करें।

विशेष आग्रह:-
सभी उपासक/उपासिका परिवार अपने घर से भिक्षु संघ के लिए भोजन टिफिन लेकर आएँ।

नमो बुद्धाय जय भीम

9826929578

आइए, अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर बुद्ध, धम्म एवं संघ की शरण में पुण्य संचय करें तथा वर्षावास प्रारम्भ के इस पावन अवसर को सफल एवं मंगलमय बनाएँ।

दी बुद्धभूमि धम्मदूत संघ, भोपाल

नमो बुद्धाय जय भीम

हरचंदी नरवरिया जी का निधन, परिवार ने लिया मृत्यु भोज बंद करने का संकल्प



भोपाल (मध्य प्रदेश)

हरचंदी नरवरिया जी का निधन 12 जुलाई 2026 को हो गया। उनके दाह संस्कार का आयोजन 13 जुलाई 2026 को किया गया। दाह संस्कार के दौरान रविदासिया धर्म संगठन मध्य प्रदेश के अमृत वाणी वाचक एवं धर्म प्रचारक संत राधाकिशन रविदासिया जी उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि तीन दिन में तीजा, तेरहवीं, रसोई, गंगभोज आदि नाम से कोई कार्यक्रम नहीं

होना चाहिए। संत जी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। 15/07/26 को उजरी जोत कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर घर परिवार के प्रत्येक सदस्यों ने संकल्प स्वीकार कर मृत्यु भोज बंद करने का फैसला लिया है। चौधरी अमान सिंह नरवरिया, से. नि. टी आई पुलिस एवं संस्थापक अहिरवार समाज संघ के संस्थापक ने परिवार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज को इस संदेश से शिक्षा लेनी चाहिए।

जन अधिकार मोर्चा की टीम ने थाना बोधघाट के पुलिस कर्मियों का किया सम्मान



जगदलपुर, बस्तर (छत्तीसगढ़)

जन अधिकार मोर्चा, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में आज जन अधिकार मोर्चा की टीम थाना बोधघाट पहुंची और वहाँ पहुंचकर सभी पुलिस कर्मियों को बुके देकर सम्मानित किया तथा मिठाई खिलाकर उनका उत्साह वर्धन किया। यह सम्मान थाना बोधघाट का संगठन की तरफ से इसलिए किया गया क्योंकि गृह मंत्रालय के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ थानों की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें थाना बोधघाट को भी शामिल किया गया है जो कि बस्तर के लिए एक गर्व का विषय है यह सम्मान वर्ष 2025 के लिए

दिया गया है इसका श्रेय तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री लीलाधर राठौर और उनकी समस्त टीम को जाता है जिन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया और पुलिस विभाग का सिर ऊंचा किया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों की शिष्टाचार भेंट सिटी एस पी सुमित कुमार जी, डीएसपी सुमित चंद्रा जी, टी आई श्री लीलाधर राठौर जी से भी हुई। पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने में जन अधिकार मोर्चा की तरफ से विपिन तिवारी शिवा स्वर्णकार, सुनीता शोरी, धीरेन्द्र ठाकुर, मान सिंह, राजेश विश्वकर्मा आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।

मां नर्मदा मंदिर में चढ़ावे संपत्तियों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखने के सवाल पर ट्रस्ट की बैठक टली

कुमार अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनूपपुर

अनूपपुर / अमरकंटक करोड़ों रुपये के चढ़ावे, सोना-चांदी और अन्य संपत्तियों का विस्तृत लेखा-जोखा जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता। इस बयान के बाद ट्रस्ट की बैठक होने वाली थी, लेकिन अब बैठक की तिथि बदलने की मांग वाला पत्र सामने आने से पूरे घटनाक्रम ने नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है।

विधायक बोले -3 सभी सदस्य

रहें मौजूद विधानशाखा

कलेक्टर को भेजे गए पत्र में विधायक ने कहा है कि मां नर्मदा मंदिर ट्रस्ट की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में सांसद, विधायक और अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जनप्रतिनिधियों की व्यस्तता बढ़ जाती है। इसलिए बैठक ऐसी तिथि पर हो, जिसमें सभी सदस्य शामिल होकर ट्रस्ट से जुड़े अहम मुद्दों पर खुलकर विचार-विमर्श कर सकें।

ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर पहले से उठ रहे हैं सवाल

विधायक पहले ही ट्रस्ट की वित्तीय पारदर्शिता, विकास कार्यों और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। उनका



कहना रहा है कि यदि ट्रस्ट आर्थिक रूप से सक्षम है तो अमरकंटक में श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान क्यों होना पड़ता है। उन्होंने ट्रस्ट की आय-व्यय, संपत्तियों और विकास योजनाओं का सार्वजनिक विवरण जारी करने की मांग भी की थी, जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो सके।

तय्या बैठक में होंगे बड़े फैसले?

बढ़ी उत्सुकता

ट्रस्ट की बैठक को लेकर अब लोगों

की उत्सुकता और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि बैठक में मंदिर प्रबंधन, विकास कार्यों और प्रशासनिक विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। हालांकि बैठक की तिथि बदले जाने की मांग के बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर नई तारीख कब तय होगी और क्या विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक जवाब सामने आएगा। विधानशाखा अब ट्रस्ट और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी निगाहें

ब्योहारी में भारत आदिवासी पार्टी एवं आज़ाद समाज पार्टी का सांकेतिक धरना-प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

कैलाश कुमार अहिरवार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

ब्योहारी/शहडोल। भारत आदिवासी पार्टी एवं आज़ाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को ब्योहारी में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के विरोध में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के उपरांत कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) ब्योहारी को ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की व्यवस्था को बंद करने की मांग की। धरना-प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय के चलते पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल मिलाकर उपभोक्ताओं को विक्रय किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण वाहनों के एंजिन में कमी, माइलेज घटने तथा इंजन में खराबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह मुद्दा सीधे तौर पर आम जनता और वाहन उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार को जनहित में इस निर्णय पर पुनर्विचार करना



चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने लोकहित एवं जनहित में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को तत्काल बंद करने की मांग उठाई। इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि

यदि इस विषय पर शीघ्र उचित निर्णय नहीं लिया जाता है, तो भविष्य में व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर भारत आदिवासी पार्टी एवं आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।

नेतृत्व एक पद नहीं, बल्कि जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है - जैन

अबोड स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2026 का गरिमामय आयोजन, पावनी जैन हेड गर्ल, अर्श अहमद हेड बॉय निर्वाचित

करेली

नगर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था अबोड स्कूल ऑफ ड्रीम्स में छात्र नेतृत्व, अनुशासन, उत्तरदायित्व एवं सेवा-भाव की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टिचर सेरेमनी (छात्र परिषद शपथ ग्रहण) 2026 का गरिमामय आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुकेश जैन, चेयरपर्सन रहे। मंचासीन अतिथियों में संजय गुप्ता सीनियर एजुकेशन कोऑर्डिनेटर, मनोज जैन, श्री सिद्धार्थ किलेदार (ऑडिटर) तथा विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती मणिका की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके पूर्व अतिथियों के आगमन पर विद्यालय के घोषदल द्वारा मार्चपास्ट और सलामी दी गई, इसके पश्चात सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। विद्यालय की छात्राओं ने अतिथियों का स्वागत तिलक एवं स्मृति चिन्ह से किया। अतिथियों के सम्मान में कक्षा 5 की छात्राओं द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। प्राचार्या श्रीमती मणिका ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनका परिचय उपस्थित जनसमूह से कराया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों को बैज एवं सैश पहनाकर उनके पदों की औपचारिक जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। इस वर्ष अर्श अहमद को हेड बॉय तथा पावनी जैन को हेड गर्ल नियुक्त किया गया।

विद्यार्थियों को सौंपी गई नेतृत्व की जिम्मेदारी

इसके अतिरिक्त आव्यांशी जैन को डिसिप्लिन इंचार्ज, अभि जैन वॉइस डिसिप्लिन इंचार्ज, वेदिका स्वामी स्पोर्ट्स कैप्टन, लक्ष्य विश्वकर्मा वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन, आराध्या कौरव कल्चरल सेक्रेटरी, वैदिक गुप्ता वाइस कल्चरल सेक्रेटरी, प्राकृत भारिल्ल को लिटरेरी सेक्रेटरी तथा ऐश्वरी जैन को



वाइस लिटरेरी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। चारों सदस्यों के नेतृत्व हेतु वेदिका चौकसे (दर्शन हाउस कैप्टन), वैदिक मिश्रा (दर्शन हाउस वाइस कैप्टन), शनाया कोहली (ज्ञान हाउस कैप्टन), युवान सोनी (ज्ञान हाउस वाइस कैप्टन), सारांश कौरव (चरित्र हाउस कैप्टन), मानसी राजपूत (चरित्र हाउस वाइस कैप्टन), राजवी साहनी (तप हाउस कैप्टन) तथा अनुज अग्रवाल (तप हाउस वाइस कैप्टन) को दायित्व सौंपे गए। वहीं विभिन्न क्लबों के लिए श्राव्या बडकुर (लिटरेरी क्लब हेड), अनुश्री सोनी (परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लब हेड), जिनांशी बडकुर (सोशल मीडिया क्लब हेड), अनादि चौकसे (कोडिंग एवं रोबोटिक्स क्लब हेड) तथा आराध्या पटेल (इको क्लब हेड) के साथ प्रीफेक्ट मेंबर्स को नेतृत्व की जिम्मेदारी प्रदान की गई।

अतिथियों ने विद्यार्थियों को नेतृत्व संग समर्पण व अनुशासन का दिया संदेश

इसके उपरान्त विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती मणिका ने नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सभी पदाधिकारियों को सत्यनिष्ठा, अनुशासन एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों

का निर्वहन करने की शपथ दिलाई। अपने प्रेरणादायी संबोधन में मुख्य अतिथि मुकेश जैन ने नेतृत्व को जीवन भर निभाई जाने वाली जिम्मेदारी बताया। संजय गुप्ता ने विद्यार्थियों को नेतृत्व के साथ विनम्रता, सेवा-भाव, अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों का पालन करने का संदेश दिया। विद्यालय डायरेक्टर अनुभव जैन ने नव निर्वाचित परिषद को बधाई संदेश देते हुए कहा कि विद्यालय की परंपराओं, संस्कारों और अनुशासन को बनाए रखना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है। उनके प्रेरक विचारों ने विद्यार्थियों में अपने दायित्वों के प्रति समर्पण और उत्तरदायित्व की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया। स्वागत कार्यक्रम का सफल संचालन छात्राओं ध्रुवी शिवहरे, नित्या चौकसे और मुख्य कार्यक्रम का संचालन नीलमणि पटेल और सिद्धार्थ किलेदार द्वारा किया गया। अंत में सिद्धार्थ किलेदार सर ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का गरिमापूर्ण समापन हुआ।

जिला अभियोजन संचालनालय उमरिया में 04 अधिकारियों का प्रमोशन

उमरिया

अभियोजन अधिकारी श्री नीरज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल द्वारा जारी पदोन्नति सूची में उमरिया अभियोजन कार्यालय के 04 अभियोजन अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। जिला मीडिया सेल प्रभारी श्री नीरज पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि सहायक निदेशक अभियोजन / जिला लोक अभियोजन



अधिकारी के पद से श्री रुक्मिणी कृष्ण चतुर्वेदी को पदोन्नत कर उपनिदेशक अभियोजन, उमरिया बनाया गया है। वहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद से पदोन्नत होकर जिला अभियोजन अधिकारी/ अति. जिला लोक अभियोजन

अधिकारी बनने वालों में श्री रवीन्द्र सिंह, श्री मनोज कुमार पनिका एवं श्री कुबेन्द्र शाह ठाकुर शामिल हैं। पदोन्नति के बाद अभियोजन कार्यालय उमरिया में सभी अधिकारियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया तथा उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने सभी पदोन्नत अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य एवं सफल कार्यकाल की कामना की।

सेवा सप्ताह के तहत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

नरसिंहपुर

विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल, नरसिंहपुर नगर द्वारा सेवा सप्ताह के अंतर्गत सुभाष वार्ड स्थित रेस्ट हाउस परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला अस्पताल के एमडी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. बृजेश पटेल, डॉ. अमित सोनी, प्रशांत सोनी, इमाम मंसूरी एवं उनकी टीम ने बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक उपचार प्रदान किया। शिविर में स्थानीय नागरिकों के रक्तचाप (बीपी) एवं रक्त शर्करा (शुगर) की निःशुल्क जांच की गई। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय परामर्श देने के साथ आवश्यक प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया।



इस अवसर पर स्वामी श्री अमृतानंद महाराज ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल द्वारा नगर में जनसेवा का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ऐसे स्वास्थ्य शिविरों से आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि संगठन समय-समय पर धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को संगठित करने का कार्य भी करता है। नगर अध्यक्ष शुभम गुप्ता ने बताया कि शिविर का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक

स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना तथा सेवा के माध्यम से जनकल्याण की भावना को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने शिविर का लाभ उठाया और इस पहल की सराहना की। स्वास्थ्य शिविर के सफल आयोजन में विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचार-प्रसार प्रमुख राधे साहू, मुकेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में दुर्गा वाहिनी और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका रही। वहीं वार्ड पार्षद सोरभ ठाकुर का आयोजन में विशेष सहयोग रहा।

बच्चों के जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: प्रफुल्ल ठाकुर

सक्की

नये शिक्षा सत्र के प्रारंभ से ही शक्ति पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर ने स्कूल परिवहन में लगे सभी वाहनों के दस्तावेज अद्यतन करने व नाबालिग बच्चों द्वारा स्कूल जाने आने में वाहन के उपयोग पर प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश - यातायात प्रभारी वाय.एन. शर्मा को दिए थे। शक्ति यातायात पुलिस की टीम लगातार स्कूलों में जाकर स्कूल प्रबंधन व पालकों को समझा-बुझा रही थी तथा स्कूली बच्चों के परिवहन में लगे वाहनों की चेकिंग कर रही है। इसी कड़ी में आज श्री पंकज पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ति के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी वाय. एन. शर्मा ने स. उ. नि. लक्ष्मण महानदिया के नेतृत्व मे प्रधान आरक्षक 47 आनंद राम कँवर, आर. 197 दिलेश्वर साहू, आर. 127 रामानंद राठौर, आर. 240 सुभाष सिदार, आर. 249 विजय जोल्हे की टीम डभरा क्षेत्र के स्कूलों में चेकिंग हेतु भेजी यातायात पुलिस सक्ति की टीम ने कृष्णा पब्लिक स्कूल डभरा सक्ति के वाहनों की जांच की गई, जांच में किसी भी वाहनो में फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट आदि दस्तावेज अद्यतन नहीं पाए गए सभी 9 वाहनो पर कार्रवाई की जाकर ₹21000 रुपये चालान काटा गया।

घोरसा पंचायत में 15 वें वित्त और मनरेगा में सरेआम डाका

मशीनों से हो रहा काम, कागजों पर पल रहे फर्जी मजदूर

● सचिव, रोजगार सहायक पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

● सड़क, तालाब और मिट्टी कार्यों में धड़ले से चल रही जेसीबी

● बिना जानकारी के हितग्राहियों के नाम पर भी राशि गबन करने की साजिश उजागर

शहडोल।

जिले की जनपद पंचायत जयसिंहनगर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत घोरसा इन दिनों भ्रष्टाचार और घपलेबाजी का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुकी है। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे 15वां वित्त आयोग और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो गरीबों को गांवों में ही रोजगार देने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाई गई थीं, यहां पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। घोरसा पंचायत के जिम्मेदार कारिंदों सचिव, रोजगार सहायक की मिलीभगत से सरकारी धन का ऐसा बंदरबांट चल रहा है कि ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। 13 जुलाई को आक्रोशित ग्रामीणों ने लामबंद होकर सीधे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपकर इस पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों से रिकवरी की पुरजोर मांग की है।



गरीबों के हाथ खाली, मशीनों की चांदी

शिकायत के अनुसार, घोरसा पंचायत में शासन के कड़े नियमों को ताक पर रखकर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिन सड़क निर्माण, तालाब निर्माण, मिट्टी कार्य और अन्य निर्माण कार्यों में स्थानीय गरीब मजदूरों के हाथों को काम मिलना चाहिए था, वहां धड़ले से जेसीबी और अन्य भारी मशीनों को उतारा जा रहा है। सड़क निर्माण में खुलेआम रोलर और प्यूरी मशीनों से रातों-रात काम निपटाया जा रहा है। कागजों पर नियम है कि मनरेगा में शत-प्रतिशत श्रममूलक कार्य होंगे ताकि ग्रामीणों को पलायन न करना पड़े, लेकिन यहां जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मशीनों के इस तांडव के कारण गांव के गरीब और बेबस श्रमिकों का निवाला छीना जा रहा है और शासन की मंशा के अनुरूप उन्हें मजदूरी का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।

फर्जी मस्टर रोल और कागजी मजदूरों का मायाजाल

इस पूरे खेल का सबसे घिनौना पहलू यह है कि जब काम मशीनों से कराया जा रहा है, तो फिर सरकारी पोर्टल पर हाजिरी किसकी लग रही है, ग्रामीणों ने सीधा आरोप लगाया है कि पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक की गहरी जुगलबंदी के चलते बड़े पैमाने पर फर्जी मास्टर रोल तैयार किए गए हैं। इन मास्टर रोल में गांव के उन रसूखदारों, परिचितों और चहेतों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं जो कभी काम पर जाते ही नहीं। मशीनों से काम करवाकर इन फर्जी नामों के सहारे शासकीय राशि का आहरण कर आपस में बांट लिया जाता

है। इसके साथ ही घटिया सामग्री का उपयोग कर फर्जी बिलों से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है।

उपयंत्री की मूक सहमति या अंधा कानून

बिना उपयंत्री के मूल्यांकन, बिना मापन पुस्तिका में दर्ज किए और बिना तकनीकी स्वीकृति व सत्यापन के कोई भी राशि जारी होना नामुमकिन है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब जमीनी स्तर पर मशीनों से काम हो रहा है और फर्जी बिल लग रहे हैं, तो क्षेत्र के उपयंत्री ने आखिर किस आधार पर इन कार्यों का भौतिक सत्यापन कर दिया, क्या उपयंत्री को मौके पर चल रही जेसीबी मशीनें दिखाई नहीं दीं या फिर

हितग्राहियों को भनक तक नहीं, स्वीकृत हो गए कार्य

घोटाले की इतना तो देखिए, मनरेगा के तहत व्यक्तिगत हितग्राहियों के लिए स्वीकृत होने वाले कुछ कार्यों में तो खुद उन हितग्राहियों को ही नहीं पता कि उनके नाम पर कोई काम चल रहा है, उनकी बिना जानकारी और बिना सहमति के कागजों पर कार्य स्वीकृत करा लिए गए, मशीनों से खुदाई करवा दी गई और राशि हड़पने की पूरी तैयारी कर ली गई। यह सीधे तौर पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला है जिसकी तत्काल उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है।

ग्रामीणों ने उठाई जांच की मांग

बेखौफ हो चुके इस तंत्र के खिलाफ अब घोरसा के जागरूक ग्रामीण राजेश, भानुप्रताप सिंह, बी.एल. सिंह सहित समस्त ग्रामवासियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जनपद सीईओ को सौंपे गए पत्र में साफ तौर पर मांग की गई है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। सभी कार्यों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाए। इसके साथ ही मस्टर रोल, जॉब कार्ड, मापन पुस्तिका, भुगतान अभिलेख और संबंधितों के बैंक खातों की सघन स्वरुटीनी की जाए। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जांच में भ्रष्टाचार प्रमाणित होता है, तो भ्रष्ट सचिव, रोजगार सहायक के विरुद्ध तत्काल वैधानिक व विभागीय कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और गबन की गई एक-एक पाई की वसूली इन दोषियों की जेब से की जाए।

इस मलाईदार खेल में उनकी भी मौन सहमति और हिस्सेदारी शामिल है? बिना उपयंत्री की शह के सचिव और रोजगार सहायक इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकते। तकनीक और नियमों के रखवाले ही जब आंखें मूंद लें, तो भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा नाच होना लाजिमी है।

मंगल बाजार में पुलिस ने चलाया नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान

मंडीदीप

थाना मंडीदीप पुलिस द्वारा %नशे से दूरी है जरूरी 2.0% अभियान के अंतर्गत मंगल बाजार क्षेत्र में आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं नागरिकों को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना तथा समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाना रहा। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाजार में मौजूद व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों से संवाद कर नशे के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक नुकसान की जानकारी दी। लोगों से अपील की गई कि वे स्वयं नशे से दूर रहें तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करें। पुलिस ने कहा कि नशा व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। यदि कहीं भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री या नशे से संबंधित गतिविधियों की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। अभियान के दौरान नागरिकों ने भी नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने का संकल्प लिया। थाना मंडीदीप पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में नशे के विरुद्ध जागरूकता और कार्रवाई दोनों लगातार जारी रहेंगी तथा समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से इस अभियान को सफल बनाया जाएगा।

पुलिस ने मामला दर्ज किया

तेंदूखेड़ा

थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान एक युवक द्वारा अपनी मां पर लाठी से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पुत्र के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर के वार्ड क्रमांक 9 निवासी ममता केवट ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने पुत्र एवं बहू के साथ जबलपुर में मजदूरी करती हैं। शिकायत के अनुसार, उनका पुत्र किसी अन्य युवती के संपर्क में होने के कारण अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है। बहू की गोद में लगभग डेढ़ वर्ष का बच्चा है तथा वह वर्तमान में गर्भवती भी है। बताया गया कि सोमवार को ममता केवट अपनी गर्भवती बहू के साथ जबलपुर से तेंदूखेड़ा आई थीं।

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित

राजगढ़

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजगढ़ में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा रोजगार-स्वरोजगार मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। प्राचार्य डॉ. वी.बी. खरे ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल के साथ आत्मविश्वास, नवाचार तथा उद्यमशीलता की भावना सफलता की कुंजी है। कार्यक्रम



में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान निदेशक अनिमेष मालवीय ने विद्यार्थियों को वर्तमान रोजगार परिदृश्य, कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसर, स्टार्टअप, उद्यमिता तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं

की विस्तृत जानकारी प्रदान की। जीवन बीमा निगम के प्रबंधक देवेन्द्र यादव और हिमांशु राय ने बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के संबंध में चर्चा करते हुए विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान किया।

प्रांतीय महाविद्यालयीन पुस्तकालयाध्यक्ष संघ का गठन

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों के हितों के संरक्षण, व्यावसायिक गरिमा के संवर्धन तथा महाविद्यालयीन पुस्तकालयों के समग्र विकास के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 में पंजीकृत 'प्रांतीय महाविद्यालयीन पुस्तकालयाध्यक्ष संघ' का गठन किया गया। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालयों की भूमिका केवल पुस्तकों के संग्रह तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वे ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल संसाधनों और आजीवन अधिगम के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्षों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते



हुए इस प्रांतीय स्तर के संगठन की स्थापना की गई है, ताकि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों को एक साझा, सशक्त एवं रचनात्मक मंच उपलब्ध हो सके। संघ का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवा, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक हितों की रक्षा एवं संवर्धन करना, प्रदेश के सभी महाविद्यालयीन पुस्तकालयाध्यक्षों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं संवाद को सुदृढ़ बनाना, राष्ट्रीय

शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पुस्तकालयों को ज्ञान एवं अनुसंधान के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु प्रयास करना पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। उच्च शिक्षा विभाग के साथ रचनात्मक संवाद स्थापित कर पुस्तकालयों के विकास एवं पुस्तकालयाध्यक्षों से संबंधित नीतिगत विषयों पर सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत



करना है। प्रांतीय महाविद्यालयीन पुस्तकालयाध्यक्ष संघ एक गैर-राजनीतिक, गैर-लाभकारी एवं गैर व्यावसायिक संगठन है, जो पुस्तकालयाध्यक्षों के सम्मान, अधिकारों और उनके व्यावसायिक विकास के लिए समर्पित रहेगा। संघ के पदाधिकारीगण में संघ के अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार आठिया, डॉ. दीपक कुमार नामदेव, रमाकांत

आठिया, डॉ. दीपक मीणा, सचिव रामकिशोर सिंह, सह- सचिव ज्योति जादौन, कोषाध्यक्ष डॉ. गुलाब देवी, डॉ. शशिकांत खरे एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्यों में डॉ. मनोहर सिंह दांगी, डॉ. पवन सिरोजिया, डॉ. ममता मलिक, श्री संतोष कुमार कोरी, श्री मोहन चड्ढा, अपर्णा चौबे, देव प्रजापति अनुभव श्रीवास्तव इत्यादि अन्य को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया।

नवीन छावनी पठार के डॉ अंबेडकर मंगल मैत्री बौद्ध विहार में भंते जगदीश आनंद जी करेंगे बरसावास

बौद्ध प्रेमी बंधुओं को सूचित किया जाता है कि 29 जुलाई 2026 से बौद्ध परंपराानुसार हर वर्ष बौद्ध भिक्षुओं का वर्षवास प्रारंभ होता है। इसी तारतम्य में डॉ अंबेडकर मंगल मैत्री बौद्ध विहार मॉनेस्ट्री एवं धम्म प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल (मप्र) में परम पूज्य श्रद्धेय भंते जगदीश आनंद (आंबेडकरवादी) जी तीन माह तक के लिए वर्षवास करेंगे। सम्माननीय धम्म प्रेमी साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बुद्ध विहार एवं प्रशिक्षण केंद्रों की अत्यंत आवश्यकता है। इसी क्रम में डॉ अंबेडकर मंगल मैत्री बौद्ध विहार मॉनेस्ट्री एवं धर्म प्रशिक्षण केंद्र नवीन छावनी पठार, रेशमराव होटल के पास, रायसेन रोड, भोपाल मप्र में 29 जुलाई



2026 को उपासकों के लिए भोजन दान किया जाएगा और पूज्य भंते जी का वर्षवास प्रारंभ हो जाएगा। अतः अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धम्म लाभ उठाएं।

तहसीलदार का आदेश भी बेअसर! अतिक्रमण हटाने के 5 मिनट बाद फिर हुआ कब्जा, प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल

हल्केवीर सूर्यवंशी संभागीय संवाददाता

रायसेन। रायसेन शहर के पटेल नगर स्थित खसरा क्रमांक 360/2/1/1/1 पर अवैध अतिक्रमण का मामला प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। शिकायतकर्ता राहुल का आरोप है कि तहसीलदार के आदेश पर राजस्व अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किए जाने के मात्र 5 मिनट बाद ही संबंधित पक्ष ने दोबारा उसी भूमि पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता और सरकारी आदेशों के पालन पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, शिकायत मिलने पर तहसीलदार रायसेन ने 09 जुलाई 2026 को आदेश क्रमांक 917/प्रवाचक/2026 जारी कर राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम गठित की थी। आदेश के पालन में 10 जुलाई 2026 को राजस्व अमला मौके पर पहुंचा, सीमांकन किया और पंचनामा तैयार किया। पंचनामा में स्पष्ट रूप से लगभग 4 फीट अतिरिक्त अतिक्रमण पाए जाने का उल्लेख किया गया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पंचनामा में यह भी दर्ज है कि पूर्व में नगर पालिका रायसेन द्वारा भी इसी स्थान से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन बाद में संबंधित पक्ष ने दोबारा कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद एक बार फिर अतिक्रमण होना प्रशासन के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राजस्व अमले के मौके से हटते ही लगभग 5 मिनट के भीतर रितु पत्नी गोविंद ने पुनः उसी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि



सरकारी आदेशों के बाद भी बार-बार अतिक्रमण होता है और दोषियों पर प्रभावी

कार्रवाई नहीं होती, तो इससे कानून का भय समाप्त हो जाएगा और प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने कलेक्टर रायसेन, एसडीएम रायसेन तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (181) में शिकायत दर्ज कराते हुए दोषी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई, पुनः अतिक्रमण हटाने तथा भविष्य में दोबारा कब्जा रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक ही स्थान से पहले नगर पालिका अतिक्रमण हटाती है, फिर राजस्व विभाग तहसीलदार के आदेश पर कार्रवाई करता है और उसके तुरंत बाद दोबारा कब्जा हो जाता है, तो क्या सरकारी आदेशों का पालन केवल औपचारिकता बनकर रह गया है?

उदयपुरा सरकारी अस्पताल राम भरोसे! सुबह 10:30 बजे तक नहीं पहुंचे डॉक्टर, मरीज परेशान - नए BMO के आते ही व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

हल्केवीर सूर्यवंशी, संभागीय संवाददाता

उदयपुरा। उदयपुरा के शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे तक अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं पहुंचने से इलाज के लिए आए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दूर-दराज से पहुंचे मरीज बिना उपचार के अस्पताल परिसर में बैठे रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. प्रमोद गोयल के पदभार संभालने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाएं और अधिक अव्यवस्थित होती नजर आ रही हैं। समय पर डॉक्टरों की अनुपस्थिति से मरीजों और उनके परिजनों में नाराजगी

देखी गई।

उदयपुरा विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र



शिवाजी पटेल है लेकिन उनके रहते भी उदयपुरा विधानसभा की व्यवस्थाएं इतनी खराब। क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की जांच कर अस्पताल में समय पर डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि मरीजों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।